//प्रेस विज्ञप्ति//

‘‘अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश’’

- विदेशी सरगनाओं के साथ मिल कर ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी के नाम पर छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड से 10 करोड़ रूपये से अधिक का धोखाधड़ी करने वाले के आरोपी अरूण कुमार द्विवेदी को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरफ्तार।

- दुबई, बांग्लादेश से हो रहा था इस नेटर्वक का संचालन।

- यह रैकेट 5000 से अधिक लोगों से धोखाधड़ी कर गबन कर चुका है राशि।

विवरण :- गरियाबंद राजिम थाना में दिनांक 19.12.2024 को प्रार्थी संतोष देवांगन द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन जिसमें राजाराम तारक, शरदचंद्र वर्मा, कमलेश साहू, यशवंत नाग एवं अरूण द्विवेदी के द्वारा ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी में अधिक लाभांस देने की लालच देकर रूपये की धोखाधड़ी करने एवं गबन करने संबंध आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसमें थाना राजिम में अपराध क्रमांक 408/2024 धारा 420,34 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान यह भी पता चला की उक्त ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी के मुख्य सरगना

अरूण द्विवेदी के खिलाफ सी.आई.डी. रांची में भी झारखण्ड के 11 लोगों से 46699820 रूपये की धोखाधडी करने का अपराध पंजीबद्ध हुआ है।

छ.ग. एवं झारखण्ड के लोगों से मिली अबतक कि जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के 94 लोगों से 55373000 एवं झारखण्ड के 11 लोगों से 46699820 रूपये कुल 102072820 (दस करोड़ बीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ बीस रूपये) जमा कराकर छलपूर्वक बेईमानी करने के नियत से आरोपीगण द्वारा उक्त धनराशि का गबन किया गया है। जिससे मामले में 409 भादवि0 की धारा भी जोड़ी गई है।

प्रकरण में विवेचना दौरान प्रार्थी एवं अन्य गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया है एवं आरोपीगण के बैंक खातों का डिटेल लेकर विस्तृत पुछताछ किया जा रहा है।

आम जनता को कम समय में निवेश को दुगना करने का लालच देकर फर्जी प्लेटफार्म पर अकाऊँट बनाया जाता था। जिसमें प्रति-दिन के हिसाब से ब्याज दिखाकर भरोसा दिलाया जाता था। किन्तु निवेशक मुल रकम या ब्याज कुछ भी निकालने में असमर्थ रहा। इसी कारण ये धोखाधड़ी उजागर हुई। प्लेटफार्म पर बने अकाऊँट में ट्रेड डॉलर में किया जा रहा था। जो की फर्जी तरीके से बने बैंक अकाऊँट से लिंक थे।

प्रकरण में पूर्व के आरोपीगण **01) शरदचंद्र शर्मा पिता स्व रिपुदमन शर्मा** उम्र 50 वर्ष साकिन वुड आईलैंड कॉलोनी अमलेश्वर थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग (छ.ग.) **02) यशवंत कुमार नाग पिता स्व परसराम नाग** उम्र 45 वर्ष साकिन पीपरछेड़ी थाना राजिम जिला गरियाबंद (छ.ग.) **03) कमलेश साहू पिता गोरेलाल साहू** उम्र 34 वर्ष साकिन नयापारा उजियारपुर थाना लालपुर जिला मुंगेली हाल मुकाम वार्ड नम्बर 01 श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाठापारा थाना भाठापारा जिला बलौदाबजार (छ.ग.) को दिनांक 20.12.2024 को गिरफ्तार कर पुछताछ किया गया था। जिसमें उन्होने अरूण द्विवेदी एवं अन्य आरोपी के साथ अपराध को कारित करना स्वीकार किया था। जिसके पश्चात् तीनों आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।

प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी **अरूण द्विवेदी** को दिनांक 23.12.2024 को रीवा (म.प्र.) से गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अबतक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपी की पतासाजी की जा रही है।

उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी राजिम निरीक्षक अमृत साहू, थाना प्रभारी पाण्डुका उप निरीक्षक जयप्रकाश नेताम व साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी -

अरूण कुमार द्विवेदी पिता स्व. लाल बिहारी उम्र 47 वर्ष निवासी कछुवारा पोस्ट बीड़ा थाना सेमरिया (म.प्र.)